निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1931 (श0)

(सं0 पटना 191) पटना, शुक्रवार, 19 मार्च 2010

गृह विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2010

सं0 एल/एच0जी0–1555/01–2913/सी0—भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार–राज्यपाल, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त भाग, विस्तार एवं प्रारम्भ–(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन)नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. नियमावली, 2005 के नियम–4 उप नियम–वैतनिक–1 का प्रतिस्थापन– (1) उक्त नियमावली का नियम–4 के वैतनिक पद–1 निम्नलिखित सीधी नियुक्ति के पद का 50 प्रतिशत पंद गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी, खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित होगा।

क्र0	पद का नाम(बिहार होम गार्ड सेवा नियमावली 2005 के अनुसार)	प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति चयनित पद/पदस्थापन पद	गृह रक्षकों के लिए कर्णांकित	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	गुल्म समादेशक संवर्ग :–			
	क्रमांक–3–गुल्म समादेशक	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति	सीधी नियुक्ति के पद का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी, खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित	5500–9000/–

(31)

2.	अधिनायक संवर्गः–			
	क्रमांक–5–अधिनायक (लिपिक/अनुदेशक)	75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति 25 प्रतिशत सीधी प्रोन्नति	सीधी नियुक्ति के पद का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिक बेतनभोगी, खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित	3200–4900/–
3.	सिपाही संवर्गः–			
	क्रमांक–1–सिपाही			
	क्रमांक–2–सिपाही (चालक)	सीधी नियुक्ति	सीधी नियुक्ति के पद का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिक बेतनभोगी, खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित	3050–4590/–

गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए कर्णांकित 50 प्रतिशत पद पर भी नियुक्ति के लिए लागू सामान्य आरक्षण व्यवस्था प्रभावी होगा।

सीधी नियुक्ति की प्रत्येक संवर्ग बल के लिए कुल आरक्षण प्रतिशत की गणना इससे प्रभावित नहीं होगा।

3. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–4 के उप नियम(2) का प्रतिस्थापन :–(1) उक्त नियमावली के नियम–4 के उप नियम(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के उप समूह " घ " के निम्नलिखित पद होंगे :–

क्र0	पदनाम	प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति/चयनित	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	रेकॉर्ड सप्लायर	सीधी नियुक्ति	50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिकवेतनभोगी, खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित
2	दफ्तरी	सीधी नियुक्ति	तदैव
3	चपरासी	सीधी नियुक्ति	तदैव
4	माली	सीधी नियुक्ति	तदैव
5	चौकीदार	सीधी नियुक्ति	तदैव
6	रसोईया	सीधी नियुक्ति	तदैव
7	पत्तभर	सीधी नियुक्ति	तदैव
8	धोबी	सीधी नियुक्ति	तदैव
9	नाई	सीधी नियुक्ति	तदैव
10	झाडुकश	सीधी नियुक्ति	तदैव
11	बढ़ई	सीधी नियुक्ति	तदैव

गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए कर्णांकित 50 प्रतिशत पद पर भी नियुक्ति के लिए लागू सामान्य आरक्षण व्यवस्था प्रभावी होगा।

सीधी नियुक्ति की प्रत्येक संवर्ग बल के लिए कुल आरक्षण प्रतिशत की गणना इससे प्रभावित नहीं होगा।

4. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–5 उप–नियम(1) के खंड (VI) का प्रतिस्थापन :–नियम–5 के उप नियम (1) "सिपाही" के खंड (VI) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा।

(VI) (1) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित रहेगें।

(2) उक्त 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी।

(क) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा/ड्युटी दे चुकें हों।
(ख) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं हों ।
(ग) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हों।

5. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–5 उप–नियम (2) के खंड (VI) का प्रतिस्थापन :– नियम–5 के उप–नियम(2) सिपाही (चालक) के खंड (VI) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(VI) (1) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी:–

(क) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा/ड्यूटी दे चुके हों ।
(ख) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो।
(ग) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हों।

6. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–5 उप–नियम (3) के खंड (VI) का प्रतिस्थापन :–नियम–5 के उप–नियम (3) अधिनायक(लिपिक), अधिनायक "अनुदेशक" के खंड (VI) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

(VI) (1) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद जो गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी:–

(क) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षो की सेवा/ड्यूटी दे चुके हों ।
(ख) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो।
(ग) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हों।

7. नियमावली, 2005 के नियम–7(1)में प्रतिस्थापन–उक्त नियमावली के नियम–7 के खंड(1) में निम्नांकित जोड़ा जाएगा।

(1)(क) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद जो गृह रक्षकों (दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) के लिए कर्णांकित है, की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी:–

(क) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा/ड्यूटी दे चुके हों ।
(ख) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो।
(ग) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हों।

8. उक्त नियमावली, 2005 के नियम–10 के खण्ड V का प्रतिस्थापन :–नियम–10 के (खंड)(V) का निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

(अ) गृह रक्षक(दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित) के लिए समूह"घ" के 50 प्रतिशत आरक्षित पदों को समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर भरा जाएगा।

9. समूह"ग" के जिन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार के संबंध में पूर्व से कोई विशिष्ट नियम तथा प्रकिया निर्धारित नहीं है, उन पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

15 मार्च 2010

सं0–एल/एच0जी0–1555/01–2913, दिनांक 15 मार्च 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।